उत्तर प्रदेश शासन
कर एवं निबन्धन अनुभाग-7
11/संख्या क0नि0-7-152/11-2015-500(104)/04
लखनऊ, दिनांक 20 मार्च, 2015

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम,1897 (अधिनियम संख्या10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से विकलांग व्यक्तियो के पक्ष में उक्त अधिनियम की अनुसूची 1(ख) के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के क्रय (हस्तान्तरण) की लिखत पर अथवा अनुच्छेद 35 के अधीन किसी स्थावर सम्पत्ति के पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पर निम्नलिखित शर्तो के साथ छूट प्रदान करते हैं-

(एक) सामान्य रूप से विकलांगता की दशा में, किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थावर सम्पत्ति के क्रय किये जाने अथवा पट्टे पर लिये जाने वाली लिखत पर रू0 5.00 लाख तक के मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट उपलब्ध रहेगी। ऐसी सम्पत्ति का मूल्य रू0 5.00 लाख से अधिक की धनराशि होने की दशा में रू0 5.00 लाख से ऊपर की धनराशि पर तत्समय प्रवृत्त उर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

(दो) विकलांगजन अधिनियम की धारा 56 की उप धारा (4) के अधीन यथापरिभाषित गम्भीर विकलांगता की दशा में किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी सम्पत्ति के क्रय किये जाने अथवा पट्टे पर लिए जाने की लिखत पर रू0 20.00 लाख तक के मूल्य पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट उपलब्ध रहेगी। ऐसी सम्पत्ति का मूल्य रू0 20.00 लाख से अधिक की धनराशि होने की दशा में रू0 20.00 लाख से ऊपर की धनराशि पर 3 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा।

आज्ञा से
ह0/-
(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

11/संख्या क0नि0-7-152/11-2015-500(104)/04, दिनांक 20 मार्च, 2015
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, कानपुर।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0।
12. विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

ह0/-
(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।